अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी (नागौर)

मुकदमा नं..... CJ- 314/2020 - राजेन्द्रसिंह / बाबूसिंह

तारीख हुक्म	RCMS- 2020/00447 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	20/5/2022 वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस हेतु समय चाहा है समय दिया जाकर पत्रावली दिनांक 20/07/2022 को पेश हो।	
	20/7/2022 वकील प्रार्थी उपस्थित बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को ता फैसला बाद प्रदत्त किये जाने का निवेदन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री एवं विस्तृत अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत पत्रावली की देखे जाने से यह भी है कि वाद बेबाक का विवादास्पद है विवाद आगे नहीं बढ़ा सकता न्यायिक दृष्टिकोण से पक्षकारान के पक्ष में विवादास्पद है अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन अपूरणीय क्षति के बिंदु प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होते है अतः न्यायालय द्वारा दिनांक 21.10.2020 अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को ता फैसला बाद प्रदत्त किया जाता है। आदेश हेतु स्थगित अगली दिनांक 20.7.2022 को सुनाया जाता। पक्षकारान केवल अगर पेश नहीं है तो पेश अपील समझा दो।	